भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1531
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

दादरा और नगर हवेली में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रिक्त पद

1531. **श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर दादरा और नगर हवेली जिले में प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्त पदों का श्रेणी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान 'कोई उपयुक्त नहीं पाया गया' पाए जाने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किए गए एससी/एसटी/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कोई समान भर्ती प्रक्रिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ.) क्या सरकार कोई समान भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों और संविधियों, अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं इत्यादि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय सांविधिक निकायों के अनुमोदन से केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जाते हैं; जिसमें उनकी भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है, जिसे सांविधिक प्रावधानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रासंगिक विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार उनके

सांविधिक निकायों द्वारा तैयार किया जाता है। शिक्षक पदों के लिए आवेदनों के लिए एक खुला विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। संबंधित प्रावधानों के तहत भर्ती हेतु विधिवत गठित चयन समितियां, पद (पदों) के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संबंध में सिफारिशें करती हैं और तदनुसार, चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। केवल उन मामलों में जहां उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, चाहे किसी भी श्रेणी के हों, नियुक्तियां नहीं की गईं। "विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं, 2018" संबंधी यूजीसी विनियम एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं। उक्त यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में अन्य के अलावा एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों,यदि इनमें से किसी भी श्रेणी से कोई उम्मीदवार आवेदक है, के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से रिक्त पदों को भरने के लिए संस्थाओं की निगरानी करते हैं। सितंबर 2022 से, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 24.01.2026 तक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1139 एससी पदों, 555 एसटी पदों, 1960 ओबीसी पदों और 426 ईडब्ल्यूएस पदों सहित 8460 से अधिक शिक्षण पद भरे गए हैं। यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों की सूची के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करने के लिए दिनांक 02.05.2023 को एक एकीकृत भर्ती पोर्टल अर्थात सीयू-चयन की शुरूआत की। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्ष भर अपनी वेबसाइटों पर रोलिंग विज्ञापन प्रकाशित करें। इसके अतिरिक्त, सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्य शर्त में भी छूट दी गई है।

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एक इकाई के रूप में मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण के संबंध में कठिनाई को दूर करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया था। पहले ओबीसी को

आरक्षण केवल सहायक प्रोफेसर स्तर पर था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को केवल उसी विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरा जा सकता है; किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित किसी भी रिक्त पद को भर्ती के अगले चक्र (चक्रों) में उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में पुनर्विज्ञापित किया जाता रहेगा, जब तक कि वह भरा नहीं जाता है।

*****